राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2660/2024

डॉ. मनीष कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मेडिकल शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मेडिकल शिक्षा (ग्रुप–I), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.08.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य रेडियो डायगनोशिस के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मेडिकल कॉलेज, जयपुर से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 400 कि.मी. दूर किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को साढ़े तीन माह पश्चात् कार्यमुक्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2064/2024 दायर की। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि अपीलार्थी अपील प्रस्तुत प्रतिनिधित्व और अधिकारियों को पति–पत्नी स्थानान्तरण नीति के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करने के लिए निर्देशित किया गया था। इस बीच लागू आदेशों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब आदेश दिनांक 13.08.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा पति–पत्नी नीति के आधार को छुए बिना प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था। माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.07.2024 (अनुलग्नक–7) के द्वारा सभी तथ्यों

का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया और कहा कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों जयपुर में ही कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी मेडिकल शिक्षिका के रूप में सहायक प्रोफेसर के पद पर आरयूएचएस, जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी के 02 वर्ष का एक पुत्र एवं 06 वर्ष की पुत्री है, जो महाराज सवाई भवानी सिंह विद्यालय, जयपुर में अध्ययनरत है (अनुलग्नक–5)। राज्य सरकार की पति–पत्नी के स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनको एक ही स्थान पर या आस–पास पदस्थापित करने का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.के. नौशाद के मामले में सुनाए गए निर्णय के अनुसार कर्मचारियों के स्थानान्तरण के मामले में, पति–पत्नी के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए एवं स्थानान्तरण नीति का सम्मान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के पत्र दिनांक 28.04.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ''एक बार एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक संकाय को मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है, तो उसी संकाय को उसी शैक्षणिक वर्ष में किसी अन्य मेडिकल कॉलेज के संकाय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक संकाय को आयोग के समक्ष मूल्यह्रास प्रपत्र में इस मुद्दे की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरण का मुद्दा राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में है। यह राज्य सरकार पर है कि वह संकाय की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करे और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से दूसरे सरकार मेडिकल कॉलेज में स्थानान्तरण यदि एक मेडिकल कॉलेज में कमी को दूर करने के उद्देश्य से किया जाता है तो दूसरे मेडिकल कॉलेज में कमी नहीं होनी चाहिए।''

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश के द्वारा मेडिकल कॉलेज जयपुर में कमी पैदा की है। मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के विज्ञप्ति पत्र दिनांक 08.08.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा रेडियो डायग्नोसिस विषय में एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में दो सहायक प्रोफेसर की कमी बताते हुए एडहॉक या वर्किंग अरेंजमेट आधार पर विज्ञापन जारी किया गया है।
4. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024, 08.06.2024 एवं 13.08.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान सहायक प्रोफेसर के पद पर रेडियो

डायग्नोसिस एसएमएस, मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे तथा नियमित वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय मेडिकल कॉलेज उदयपुर किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी को 08.06.2024 को कार्यमुक्त किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2064/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा ''माननीय अधिकरण द्वारा रिक्त पदों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विशिष्ट पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 08.06.2024 का क्रियान्ययन (Operation) स्थगित किया गया था तथा अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जाये, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 23.07.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

7. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.08.2024 के द्वारा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर द्वारा एनएमसी निरीक्षण के दृष्टिगत एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार रेडियाग्नोसिस विशिष्ठता में 02 सहायक आचार्य की कमी बतायी गयी थी। जिसके विरूद्ध डॉ. शर्मा का मेडिकल कॉलज, जयपुर से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में पदस्थापन किया गया था। एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार फैकल्टी की कमी पूर्ति नहीं किये जाने पर एनएमसी द्वारा पेनल्टी लगायी जा रही है और पी.जी. सीटें भी कम की जा सकती है। अतः उपरोक्तानुसार एनएमसी निरीक्षण के दृष्टिगत एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार फैकल्टी की कमी पूर्ति किये जाने हेतु राजकीय हित में डॉ. शर्मा को मेडिकल कॉलेज, जयपुर में ही पदस्थापित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत

रखते हुए अपीलार्थी का मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पदस्थापित रखे जाने की मांग को अस्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य